21·04·25

पत्रावली पेश। उभय पक्ष अधिवक्ता उप। प्रतिवादी सं. 1 व 2 जवाब देना नहीं चाहते, अतः इनका जवाब बंद किया जाता है। उभय पक्षकारान अधिवक्ता द्वारा बहस की गई। प्रार्थीया अधिवक्ता द्वारा 18·07·2023 के आदेशिका में वर्णित तथ्यों को पुनः दोहराते हुये मूल वाद के निस्तारण तक अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करने का निवेदन किया। अप्रार्थीगण अधिवक्ता द्वारा बहस में कथन किया की प्रार्थीया द्वारा अप्रार्थीगण को हैरान व परेशान की नियत से प्रार्थना पत्र पेश किया, जो मय खर्चा खारीज फरमावें।

हमने पत्रावली का भली भांति अवलोकन किया। बहस के तथ्यों पर मनन किया गया। प्रथम दृष्टया, सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति तीनों मूलभूत कानूनी स्तम्भ प्रार्थीया के पक्ष में होने से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है।

अतः प्रार्थीया के पक्ष में तथा अप्रार्थीगण [illegible] मूल वाद के निस्तारण [illegible] की अस्थाई निषेधाज्ञा [illegible] की जाती है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2025.05.01 17:08:46 IST
Reason: SelfAttested

[illegible] अधिकारी

P. O.

Scanned with OKEN Scanner

मौजा पांचला, पटवार हल्का पांचला में प्रार्थिया की पैतृक कब्जा काश्त की खातेदारी खेल खसरा सं. 760, 985/765, 1102/765, 764 का अप्रार्थीगण राजस्व रेकर्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलेक्टर, सांचौर
(उपखण्ड अधिकारी, सांचौर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2025.05.01 17:08:46 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner